न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 101/2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

चौथमल आत्मज कंवर लाल, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कुसुम बाई बेवा राम प्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– प्रितम (नाबालिग) पिता राम प्रसाद जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कुसुम बाई बेवा रामप्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– नीरज (नाबालिग) पिता राम प्रसाद जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कुसुम बाई बेवा रामप्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– राहुल (नाबालिग) पुत्र रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– कोली (नाबालिग) पुत्री रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– रीना(नाबालिग) पुत्री रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मुकेश लोधा एवं श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 19/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने एक दावा वादीगण कुसुम बाई, पितम, नीरज ने प्रतिवादीगण 1 कान्तीबाई, राहुल, कोली, रीना, चौथमल आदि के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53, 188 का ग्राम मनोहरथाना पटवारी हल्का मनोहरथाना की आराजी खाता संख्या नया 554 पुरानी 494 की खसरा नम्बर 292 की 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी सम्वत 2068 से 2071 को आराजी का बंटवारा करने बाबत पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 292 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को डिक्री के अनुसार वादीगण के हिस्से 1/3 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने का आदेश दिया गया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रहसार तथा कानून के विधि विरूद्ध होने से निर्णय निरस्तनीय है । वादी ने जिस प्रकार से दावा किया उस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी व प्रतिवादी को नहीं सुना व उसको जवाबदेही का अवसर भी नहीं दिया, तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मनोहरथाना द्वारा दिनांक 30.06.2018 को जिस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा बताया उसी के आधार पर डिक्री पारित कर दी जिस बाबत ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में पारित किया

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है। प्रतिवादी संख्या 5 अपीलांट को कोई जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । इन्होंने वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से का बचान कर दिया है अब इनका वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं बचता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारों की सहमति थी एवं हस्ताक्षर भी हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बंटवारे का दावा था अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी का बंटवारा सही प्रकार किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस बाबत राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दिनांक 08.07.2017 का अवलोकन किया गया । इसमें नोटिसों की तामील वादी व प्रतिवादीगण को होना पाया गया है । अपीलांट जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में हैं को भी सम्मन की तामील केम्प में उपस्थित होने बाबत पायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.07.2017 में भी वादी व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं जिसमें अपीलांट भी शामिल हैं । इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के विभाजन में सभी पक्षकारों की सहमति पायी गयी । अतः अधीनस्थ

(अशोक लोद)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देकर मुताबिक रेकार्ड निर्णय पारित किया गया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

<u>डिक्री व सीगे अपील</u>

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

चौथमल आत्मज कंवर लाल, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
.... **अपीलांट**

बनाम

1– कुसुम बाई बेवा राम प्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– प्रितम (नाबालिग) पिता राम प्रसाद जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कुसुम बाई बेवा रामप्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– नीरज (नाबालिग) पिता राम प्रसाद जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कुसुम बाई बेवा रामप्रसाद, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– राहुल (नाबालिग) पुत्र रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– कोली (नाबालिग) पुत्री रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– रीना(नाबालिग) पुत्री रमेश जाति मेहर संरक्षक वलिया माता कान्ति बाई बेवा रमेश, जाति मेहर, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. <u>101 / 2019</u> एवं नाराजगी डिकी अदालत – **<u>उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना</u>**

मु.द.नं0 <u>19 / 2017</u> निर्णय व डिकी दिनांक – **<u>30.06.2018</u>**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख 05 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री मुकेश लोधा एवं श्री अमरसिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री संजय कुमार सक्सैना** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)